KAILA DEVI SANCTUARY

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 19, 1983

संख्या प.11(27) राज-ग्रुप-8/83:—वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) जो कि भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ.11014/3/72 एफ. आर. वाई. (डब्ल्यू.एल.) एफ., दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है की धारा 18 (1) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले में आने वाली भूमि को इसकी परिस्थितियों, प्राणी जातीय, वनस्पतीय, भू-संरचना, सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी जातीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है। जिसे भविष्य में कैला देवी अभ्यारण्य के नाम से जाना जायेगा जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची

उत्तरी सीमा:—दौलतपुरा ब्लाक के कम्पार्टमेंट नं. 29 की पश्चिमी सीमा जो इसे दौलतपुरा ग्राम की भूमि से अलग करती है। दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 27 की प. सीमा जो इसे क. नं. 30 से अलग करती है। दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 27 की उ. सीमा, क. नं. 21, 17 की प. सीमा जो इन्हें गेनपा की गुवाड़ी ग्राम की भूमि से अलग करती है।

दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 15 की प. सीमा जो इसे दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 16 से अलग करती है। दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 10 की प.-एवं उ. सीमा जो इसे दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 9 से अलग करती है। दौलतपुरा ब्लाक के क. नं. 1 की सीमा जो दौलतपुरा ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है।

करणपुरा ब्लाक क. नं. 27, 19, 18, 9, 8, 1, 3 एवं 4 की सीमा जो करणपुरा ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है।

बीरम की गवाड़ी ब्लाक के क. नं. 26 की उ. सीमा जो बीरम की ग्वाड़ी ब्लाक की सीमा भी है व इसी कम्पार्टमेंट की पू. सीमा जो इसे मलवत की ग्वाड़ी ग्राम की भूमि से अलग करती है।

मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 5 की उ.-पूर्वी सीमा जो मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 4 व 8 को अलग करती है।

मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 7 व 17 की पूर्वी सीमा जो इसे मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 8 से अलग करती है। बीरम की ग्वाड़ी ब्लाक के क. नं. 18 की उ. पूर्वी सीमा जो इसे मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 15 व चाहर ग्राम की भूमि से अलग करती है।

चिरमिलजी की क. नं. 1, 2, व 3 की उ. पू. सीमा जो चिरमिलजी की ब्लाक बाउन्ड्री भी है। चिरमिलजी, क. नं. 4 व 9 की उ. पू. सीमा जो चिरमिलजी की ब्लाक बाउन्ड्री भी है तथा जो "चतराई का पुरा" तथा "बगीआचा ग्राम" की भूमि को अलग करती है।

मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 13 की उ. पू. एवं उ. सीमा जो इसे मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 11, 15, 16 एवं ग्राम बल्लेपुरा तथा अमरोली की भूमि को अलग करती है।

मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 12 की उ. पू. सीमा जो इस मलवत की ग्वाड़ी के क. नं. 11 व सती ग्राम की भूमि से अलग करती है।

काचरदा ब्लाक के क. न. 29, 30, व 31 की उ. प. सीमा जो इसे काचरदा ब्लाक के क. नं. 23, 24 व 26 से अलग करती है।

पूर्वी सीमा:—नींदर ब्लाक के क. नं. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 एवं 12 की उ. सीमा जो ब्लाक नींदर की ब्लाक बाउन्ड्री भी है। नींदर ब्लाक के क. न. 12, 17 एवं 19 की उ. पू. सीमा जो नींदर ब्लाक की बाउन्ड्री भी है जहां से नींदर तालाब के बांध के सहारे-सहारे होते हुए नींदर ब्लाक के क. नं. 24, 28 की पूर्वी सीमा क. नं. 30 की उ. पू. सीमा, क. नं. 31 की उ. पू. द. सीमा क. नं. 30 की द. सीमा क. न. 29 की द. प. सीमा, क. न. 27 व 26 की द. सीमा। उक्त सभी सीमाएं ब्लाक नींदर की ब्लाक बाउन्ड्री भी हैं। नींदर ब्लाक के क. नं. 25, क. न. 22, क. नं. 20 व क. नं. 6 की सीमाएं जो नींदर ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी हैं। चिरमिलजी के क. नं. 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 40, 41, 39, 38, 42, 49, 50, 51, 54, 55, 60 की सीमाएं जो चिरमिलजी ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है।

दक्षिणी सीमा:—बीरम की ग्वाड़ी के क. न. 13 की द. पू. सीमा जो गाढ़ी गांव की भूमि को अलग करती है बीरम की ग्वाड़ी के क. नं. 10 द. पू. सीमा जो इसे क. नं. 11 व 12 से अलग करती है। नीबाहेड़ा ब्लाक के क. नं. 14 की द. पू. एवं पू. उ. सीमा जो इसे क. नं. 23 एवं 24 तथा करसा की ग्वाड़ी गांव की भूमि से अलग करती है बीरम की ग्वाड़ी के क. न. 3, 4, 6 व 7 की सीमा जो बीरम की ग्वाड़ी ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है। नीबाहेड़ा ब्लाक क. नं. 34 की सीमा जो नीबाहेड़ा ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है एवं क. नं. 17 की पू. सीमा जो इसे क. नं. 20 से अलग करती है। नीबाहेड़ा ब्लाक क. नं. 16, 18, 19 की सीमा जो नीबाहेड़ा ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है।

किला उदयगीर-देवगिर के क. नं. 1, 2 6, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16, 14, 13, 12 एवं 11 की सीमायें जो किला उदयगिर, देवगिर ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है।

सही प्रतिलिपि
क्षेत्रीय वन अधिकारी
करणपुर जिला - करौली

(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
परियोजना रणथम्भोर

15, 16, 17, 19, 20, 6, 5, 4 की सीमायें जो कनदवा ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है।

सोजियमो सीमा:—बालेर ब्लाक के क्र. सं. 1, 2, 3, 4 की प. सीमा जो मालपुर ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है। मांगू बड़ ब्लाक के क्र. नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की सीमायें जो साथ ही धमता ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है। सोमर धो (द) ब्लाक के क्र. नं. 1, 2, 3, 4, 7 की सीमा जो सोमर धो ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है। सोमर धो ब्लाक के क्र. नं. 7 की द. सीमा जो इसे तीसर धो ब्लाक क्र. नं. 12 से अलग करती है। सोमर धो क्र. नं. 8 की उ. एवं उ. पू. सीमा जो इसे क्र. नं. 13, 14, 15 से अलग करती है। सोमर धो के क्र. नं. 9 की उ. एवं पू. सीमा जो इसे क्र. नं. 14 से अलग करती है। कोलायत ब्लाक के क्र. नं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 11, 13, 16 की सीमाओं में जो कोलायत ब्लाक की ब्लाक बाउन्ड्री भी है।

Rc Attested

(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
द्वितीय बाघ परियोजना रणथम्भोर
करौली (राज०)

राज्यपाल की आज्ञा से,
एस. एस. लाल,
शासन सचिव।

कृषि (ग्रुप-II) विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 25, 1983

संख्या एफ. 4 (35) कृषि/ग्रुप/83:—कालिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2) की अधिसूचना संख्या प. 7 (19) प्र. सु./5/82, दिनांक 4-12-82 के अनुसार धौलपुर, जयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों की राज्य स्तरीय कार्यालय सम्बन्धी स्थाई उप समिति के सदस्यों के रूप में जिला प्रमुखों द्वारा प्रस्तावित निम्नांकित प्रधानों को मनोनीत किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	प्रधान का नाम	पंचायत समिति	जिले का नाम
1.	श्री प्यारेलाल शर्मा	धौलपुर	धौलपुर
2.	" राजेन्द्र सिंह	राजाखेड़ा	धौलपुर
3.	" महेन्द्र सिंह	बाड़ी	धौलपुर
4.	" जिनेन्द्र शर्मा	दौसा	जयपुर
5.	" हनुमान व्यास	शाहपुरा	जयपुर
6.	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव	फागी/गोविन्दगढ़	जयपुर
7.	प्रधान, पं. स. बांदीकुई	[illegible]	जयपुर
8.	प्रधान, पं. स. प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
9.	प्रधान/पं. स. राशमी	राशमी	"

राकेश हजरा,

कृषि (ग्रुप-2 बी) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 27, 1983

संख्या प.10(17)कृषि/ग्रुप-2 बी/75:—जैसा कि राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति संख्या प. 10(17) कृषि/ग्रुप-2 बी/75, दिनांक 5-10-81 द्वारा मुख्य मंडी यार्ड, किशनगढ़-रेनवाल की घोषणा की थी। अब राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति, किशनगढ़-रेनवाल ने जोबनेर, फुलेरा एवं सांभर में भी गौण मंडी यार्ड की स्थापना की है अतः राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसार राज्य सरकार घोषणा करती है कि:—

1. गौण मंडी यार्ड जोबनेर से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र से होगा जिसकी सीमायें:—

पूर्व में—चामकुई
पश्चिम में—हनुमानजी का मन्दिर
उत्तर में—कुम्हारों की बगीची
दक्षिण में—जोबनेर माता का पहाड़।

2. गौण मंडी यार्ड, फुलेरा से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र से होगा जिसकी सीमायें:—

पूर्व में—गुरु बाबा की बगीची
पश्चिम में—पुराने फुलेरा का चौराहा
उत्तर में—हरिहर मन्दिर का कब्रिस्तान
दक्षिण में—नूंगी नाका नम्बर तीन (3) रेल्वे फाटक।

3. गौण मंडी यार्ड, सांभर से तात्पर्य वर्तमान क्षेत्र से होगा जिसकी सीमायें:—

पूर्व में—देवयानी
पश्चिम में—रेल्वे कॉलोनी, सांभर साल्ट फाटक, नूंगी नाका नम्बर 1 (एक)
उत्तर में—प्याऊ नम्बर 8 (आठ) साल्ट चौकी नम्बर 1 (एक)
दक्षिण में—शाकम्भरी विद्यालय।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राजस्थान सरकार निर्देश करती है कि गौण मंडी यार्ड, जोबनेर, फुलेरा एवं सांभर की सीमाओं से उनका तात्कालिक क्षेत्र जोबनेर, फुलेरा एवं सांभर की सीमाओं तथा कोई स्थानीय अधिकारी किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के इस प्रकाशन की तारीख से तुरन्त पश्चात् उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट किसी भी कृषि उपज के क्रय विक्रय के लिये कोई स्थान वहाँ कमाईशन, स्थापित किये जाने अनुमति दिये जाने, या कायम रखे जाने की अनुमति नहीं देगा।

आगे राजस्थान सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत घोषणा करती है कि इस विज्ञप्ति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्र मुख्य मंडी होगा जैसा कि राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (10) के अन्तर्गत परिभाषित है।